

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या 831/2021 बजरंग लाल, प्रधानाचार्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम स्थगनादेश दिनांक 13.01.2021 की अनुपालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.01.2021 द्वारा श्री बजरंग लाल को माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राउमावि डूमरा जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य के पद पर एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्री महेश चन्द्र का अन्तरिम समायोजन राउमावि रोहिना, बाप जिला जोधपुर किया गया था।

श्री महेश चन्द्र के सम्बन्ध में उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री महेश चन्द्र, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि रोहिना, बाप जिला जोधपुर को आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, झुन्झुनूं किया जाता है। श्री महेश चन्द्र शर्मा को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की तत्काल पालना सुनिश्चित करें।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस


निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/याचिका/बजरंग/831/21

दिनांक: 10.03.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु/जोधपुर संभाग, चूरु/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं/जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, झुन्झुनूं/जोधपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री महेश चन्द्र, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि रोहिना, जोधपुर को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)